क्रम संख्या–92 (ग)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2013 ई0
चैत्र 15, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 168/XXXVI(3)/2013/26(1)/2013
देहरादून, 05 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013"** पर दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013

[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013]

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 11 वर्ष 1973) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 1 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 होगा।"

धारा 2 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में :––

(क) खण्ड (घ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(घ) "उपविधि" से उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ इसके पश्चात् राज्य प्राधिकरण कहा गया है) अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित उपविधि अभिप्रेत है;"

(ख) खण्ड (घघ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(घघ) 'अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" से स्थानीय विकास प्राधिकरण के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।"

(ग) खण्ड (घघ) के पश्चात् एक नया खण्ड (घघघ) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(घघघ) 'नगर विकास अधिभार' से भूमि के विकास के लिए धारा 38--क

के अधीन निजी विकासकर्ता पर अधिरोपित किया जाने वाला अधिभार अभिप्रेत है;''

(घ) खण्ड (छ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

''(छ) 'विकास प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण' से सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ आगे राज्य प्राधिकरण कहा गया है) और किसी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ आगे स्थानीय प्राधिकरण कहा गया है) जो कि अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित एवं अधिसूचित है, अभिप्रेत है :

परन्तु यह कि इस अधिनियम में जहाँ कहीं शब्द 'प्राधिकरण' आया है, जब तक कि राज्य प्राधिकरण के रूप में उसे अभिव्यक्त न किया गया हो, वह स्थानीय प्राधिकरण को संरचित करेगा :

परन्तु यह और कि यदि इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन जारी अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा विकास क्षेत्र/क्षेत्रों के विस्तार को परिभाषित करते हुए घोषित कर दिया जाता है तो इस अधिनियम के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें भी स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण संरचित होंगे। ऐसे नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा;''

(ङ) खण्ड (छछछ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

''**(छछछ)** 'विकास शुल्क' से किसी व्यक्ति या निकाय पर स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में सड़क, नाली, मल निकासी तंत्र, विद्युत आपूर्ति और जल सम्भरण तंत्र के निर्माण हेतु धारा 15 के अधीन अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है;''

(च) खण्ड (छछछ) के पश्चात् दो नये खण्ड क्रमशः (छछछछ) तथा (छछछछछ) अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात् :–

''**(छछछछ)** 'विकास योजना' से अधिनियम की धारा 12 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित महायोजना अथवा

क्षेत्रीय विकास योजना अभिप्रेत है;''

''(छछछछछ) 'मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक' से राज्य सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का प्रमुख अभिप्रेत है;''

(छ) खण्ड (ज) के पश्चात् दो नये खण्ड (जज) तथा (जजज) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात् :–

''(जज) 'भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार' से महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना में भू–उपयोग के परिवर्तन के लिए धारा 38–क के अधीन किसी व्यक्ति अथवा किसी निकाय पर अधिरोपित किया जाने वाला अधिभार अभिप्रेत है;''

(जजज) 'अनुज्ञा शुल्क' से विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के जुटाव और विकास करने के लिए धारा 39–ख के अधीन लाइसेंस चाहने वाले किसी निजी विकासकर्ता पर अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है;''

(ज) खण्ड (झझ) के पश्चात् एक नया खण्ड (झझझ) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

''(झझझ) 'निजी विकास कर्ता' से किसी वैयक्तिक, कम्पनी अथवा ऐसोसियेशन, वैयक्तिक निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, अभिप्रेत है जिसकी विकास के लिए भूमि स्वयं की हो अथवा चाहे क्रय द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से भूमि जोड़ने हेतु सहमत या एकत्र हुए हों और जिसे इस अधिनियम की धारा 39–ख के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई हो;''

(झ) खण्ड (ञ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

''(ञ) 'विनियम' से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित विनियम अभिप्रेत है;''

(ञ) खण्ड (ट) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

''(ट) ''नियम'' से राज्य सरकार अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियम अभिप्रेत है;''

धारा 3 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 3 में एक परन्तुक निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

"परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन आच्छादित क्षेत्र के इस धारा के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने पर उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) के प्राविधान ऐसे क्षेत्र के लिए निरसित हो जायेंगे।"

धारा 4 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 4 में :–

(क) उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं सभी विकास क्षेत्रों के लिए 'उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण' नाम के साथ, जिसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, एक प्राधिकरण और किसी विकास क्षेत्र के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी।"

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् दो नयी उपधाराएं क्रमशः (1–क) तथा (1–ख) अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात् :–

"(1–क) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को उनके विकास क्षेत्र के विस्तार को परिभाषित करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण के रूप में घोषित कर सकेगी। राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानीय प्राधिकरणों की शक्तियों को भी परिभाषित कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए व्यक्तियों, अधिकारियों को पदाभिहित कर सकेगी। राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए इस उपधारा के अधीन ऐसे स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को भी घोषित/पदाभिहित कर सकेगी। इस उपधारा के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण के रूप में घोषित ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विकास के प्रयोजन के लिए कृत्य कर सकेंगे।

(1--ख) ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों के विद्यमान परिषद् इस अधिनियम के अधीन धारा 4 की उपधारा (1–क) में प्रतिनिधानित शक्तियों की सीमा तक स्थानीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय प्राधिकरण के परिषद समझे जायेंगे।"

(ग) उपधारा (2) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण / राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नवत् एक नयी उपधारा (2–क) अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"(2--क) (1) उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी; अर्थात्–

(क) राज्य सरकार के आवास विभाग का प्रभारी मंत्री जो अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य सरकार के आवास विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव– जो उपाध्यक्ष होगा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक, जो कि राज्य सरकार के प्रमुख सचिव / सचिव के स्तर से निम्न न हो;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अपर मुख्य प्रशासक, जो कि राज्य सरकार के अपर सचिव / सचिव के स्तर से निम्न न हो;

(ङ) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव – पदेन सदस्य;

(च) राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव -- ,पदेन सदस्य;

(छ) राज्य सरकार के नियोजन विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव – पदेन सदस्य;

(ज) राज्य सरकार के वन विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव – पदेन सदस्य;

(झ) राज्य सरकार के पर्यटन विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव – पदेन सदस्य;

(ञ) राज्य सरकार के उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – पदेन सदस्य;

(ट) राज्य सरकार के नगर और ग्राम नियोजन विभाग का मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक – पदेन सदस्य;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य प्राधिकरण का वित्त नियंत्रक – पदेन सदस्य;

(ड) ऐसे अन्य गैर सरकारी सदस्य, जो दो से अधिक नहीं होंगे, समय–समय पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी।

उपर्युक्त खण्ड (ड) में उल्लिखित गैर सरकारी सदस्य, राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त कार्य करेंगे :

परन्तु यह कि ऐसा गैर सरकारी सदस्य अपने पद से मुख्य प्रशासक को सम्बोधित स्वलिखित त्याग–पत्र दे सकेगा और ऐसा त्याग--पत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त समझा जायेगा।

(2) राज्य प्राधिकरण का कोई कृत्य अथवा कार्यवाही किसी रिक्ति के विद्यमान होने के कारण अथवा किसी त्रुटि के होने के कारण यह नहीं समझा जायेगा कि राज्य प्राधिकरण का गठन विधिमान्य नहीं है।"

(ङ) उपधारा (3) में शब्द ""प्राधिकरण" से पूर्व शब्द "स्थानीय विकास" जोड़ दिए जायेंगे।

(च) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के पश्चात् एक नया खण्ड (खख) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

"**(खख)** स्थानीय विकास प्राधिकरण का सचिव, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;"

(छ) उपधारा (3) के खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज़) में शब्द 'पदेन' से पूर्व शब्द "अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति" जोड़ दिए जायेंगे।

(ज) उपधारा (4) में शब्द 'उपाध्यक्ष' के पश्चात् शब्द' स्थानीय विकास प्राधिकरण का' जोड़ दिए जायेंगे।

(झ) उपधारा (5), (6) (7) तथा (8) में शब्द 'प्राधिकरण' के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

6. (क) मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1), (2) तथा (3) को पुनर्संख्यांकित करते हुए उंन्हें क्रमशः उप धारा (4), (5) तथा (6) पढ़ा जायेगा और निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ दी जायेंगी; अर्थात् :–

"(1) धारा 4 की उपधारा (2–क) में उपबन्धित राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक और वित्त नियंत्रक के रूप में तीन सुयोग्य व्यक्तियों को राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का पालन और ऐसे दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रतिनिधानित किया जाय।

(2) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अथवा अपर मुख्य प्रशासक अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को, जैसा वह उसके कृत्यों के दक्ष सम्पादन के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेंगे और उनके पद तथा वेतनमान अवधारित कर सकेंगे।

(3) प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, वित्त नियंत्रक और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी वेतन और भत्तों को राज्य विकास प्राधिकरण की निधि से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित वेतन, भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों से आच्छादित होंगे।"

(ख) उपधारा (4), (5) तथा (6) में शब्द 'प्राधिकरण' के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 7 में :–

(1) शब्द 'प्राधिकरण' के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" र दिए जायेंगे।

(2) धारा 7 के पश्चात् निम्नवत् दो नयी धाराएं 7–क तथा 7–ख जोड़ जायेंगी; अर्थात् :–

"7–क. राज्य विकास प्राधिकरण के कृत्य –

राज्य विकास प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी –

(एक) राज्य के अन्तर्गत किन्हीं क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घो

अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता का आंकलन कर इस हेतु राज्य सरकार को सुझाव देना तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन की संस्तुति करना;

(दो) राज्यान्तर्गत अधिसूचित विभिन्न विकास क्षेत्रों के नियोजित विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से अथवा आउट सोर्सिंग के माध्यम से महायोजना/क्षेत्रीय योजना तैयार करना और स्थानीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;

(तीन) पूर्व निर्मित महायोजनाओं में आवश्यक संशोधन हेतु स्थानीय विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण कर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपनी संस्तुति देना;

(चार) राज्य के विभिन्न स्थानीय विकास प्राधिकरणों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करना तथा उन्हें आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करना;

(पाँच) विभिन्न अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत योजना स्वीकृति एवं प्रवर्तन कार्य के सन्दर्भ में स्थानीय विकास प्राधिकरणों, नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के मध्य कार्य विभाजन/अधिकारिता निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना;

(छः) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा/मानक के अनुसार अधिसूचित/विकास क्षेत्रान्तर्गत बृहद योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना तथा इनके सम्बन्ध में स्थानीय विकास प्राधिकरणों /स्थानीय निकायों के माध्यम से पर्यवेक्षण/प्रवर्तन कार्य कराना;

(सात) राज्य के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय लाभदायक बृहद अवस्थापना विकास सम्बन्धी परियोजनाओं की परिकल्पना तैयार करना, ऐसी परियोजनाओं के निमित्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से वित्त पोषण अथवा अन्य निजी क्षेत्रों से निवेश की व्यवस्था करना तथा परियोजना का क्रियान्वयन स्वयं अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से कराना ;

(आठ) आवासीय परियोजनाओं के विकास हेतु भूमि अर्जन/संकलन करना तथा उसका उपयोग स्व विकसित अथवा स्थानीय विकास

प्राधिकरणों/लोक–निजी सहभागिता आधारित योजनाओं के लिए कराना;

(नौ) राज्य के लिए हितकारी बृहद परियोजनाओं को लोक–निजी सहभागिता सिद्धान्त के आधार पर विकसित करने की संभावनाएं तलाशना, इस हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करना और इस निमित्त समस्त आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करना;

(दस) स्थानीय विकास प्राधिकरणों के लिए आवासीय एवं अवस्थापना विकास के कार्यों से सम्बन्धित दिशा–निर्देश तैयार कर उनका अनुपालन कराना;

(ग्यारह) कम लागत के आवासों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन नीति तैयार कर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना;

(बारह) अपने कोष से स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित की जाने वाली निधि की मात्रा निर्धारित करना तथा उसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित करना;

(तेरह) स्थानीय विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनना;

(चौदह) अन्य ऐसे दायित्वों का निर्वहन करना, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किए जाँय।

7–ख– राज्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण–

(1) राज्य प्राधिकरण द्वारा पारित सभी आदेश राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के नाम से पारित किए जायेंगे।

(2) स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर और ग्राम नियोजन विभाग का मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, स्थानीय विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष अथवा (उपाध्यक्ष) अथवा धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित/नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का क्रियान्वयन करेंगे।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली किन्हीं

शक्तियों और निर्वहन किए जाने वाले कृत्यों के क्रम में राज्य प्राधिकरण और किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा दो या दो से अधिक स्थानीय विकास प्राधिकरणों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय उस विवाद पर अन्तिम होगा।

(4) राज्य प्राधिकरण किसी समय पर स्वविवेक से अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र पर स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा उसके अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश या किसी निस्तारित मामले के अभिलेख, पारित आदेश अथवा जारी निर्देश की वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए मंगा सकता है और ऐसे आदेश अथवा निर्देश जारी कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे :

परन्तु यह कि राज्य प्राधिकरण किसी व्यक्ति के अधिकारों के विरूद्ध कोई आदेश उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा।

(5) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य प्राधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।"

धारा 8 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :—

"(8) नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित विकास क्षेत्र के लिए यथाशीघ्र महायोजना तैयार करेगा।"

धारा 9 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ग) में शब्द ""प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" जोड़ दिए जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :—

"(2) प्रत्येक योजना तैयार किए जाने के पश्चात् नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण उसे राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जो कि अनुमोदन के लिए उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सरकार या तो योजना को बिना किसी परिवर्द्धन के अथवा ऐसे परिवर्द्धन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी अथवा राज्य प्राधिकरण को दिए जाने वाले निर्देशों के अनुसार नई योजना तैयार करने हेतु निर्देश के साथ योजना को अस्वीकृत कर सकेगी।"

धारा 11 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 11 में :—

(1) उपधारा (1), (2) तथा (4) में शब्द ""प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" जोड़ दिए जायेंगे।

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-

"(3) सभी आपत्तियों, सुझावों और प्रत्यावेदनों, जो नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण द्वारा प्राप्त किए गए हों, पर विचार करने के पश्चात् नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित अन्य अभिकरण अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगा और उसे अनुमोदन हेतु अपनी संस्तुतियों और टिप्पणियों, यदि कोई हों, के साथ राज्य सरकार को अग्रसारित करने हेतु राज्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।"

धारा 12 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द ""प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण और सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण" जोड़ दिए जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन ✓

13. (1) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1), (2), (3), (4), (5) तथा (6) में शब्द ""प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" जोड़ दिए जायेंगे।

(2) उपधारा (5) में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "'राज्य प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 14 में :—

(1) उपधारा (1) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यवित्त/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

(2) उपधारा (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यवित्त/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

(3) उपधारा (3) के खण्ड (ग) में शब्द "उसके" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" और शब्द "ऐसा विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द " नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" रख दिए जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 15 में :—

(1) उपधारा (1) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यवित्त/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

(2) उपधारा (2) में शब्द 'प्राधिकरण' के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

(3) उपधारा (3) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

(4) उपधारा (3) में आए शब्द "धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट अथवा किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में" एतद्द्वारा निरसित समझे जायेंगे और तीसरे परन्तुक में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

(5) उपधारा (4), (5), (6), (7), (8) तथा (9) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यवित्त/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

धारा 15–क का संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 15–क में शब्द ""प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

17. मूल अधिनियम की धारा 17 में :–

(1) उपधारा (2) में शब्द ""प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास

प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो'' रख दिए जायेंगे।

(2) धारा 17 के पश्चात् क्रमशः दो नयी धाराएं 17–क तथा 17–ख अन्तःस्थापित कर दिए जायेंगे; अर्थात् :--

''17–क. **राज्य प्राधिकरण का भू–बैंक** :--

राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित के माध्यम से निजी भू–बैंक सृजित करने की शक्ति होगी :---

(क) भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन राज्य सरकार; अथवा

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त अवशेष भूमि; अथवा

(ग) विकास प्राधिकरणों के सन्दर्भ में भूमि अर्जन/संकलन नीति; अथवा

(घ) किसी व्यक्ति/अभिकरण/कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से भूमि क्रय करके।

17–ख. **राज्य प्राधिकरण द्वारा भूमि का निस्तारण** :–

(1) राज्य प्राधिकरण –

(क) समाज के कमजोर वर्गों को वहन करने योग्य आवास उपलब्ध कराने के लिए अपने भू–बैंक से किसी भूमि को किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण/कम्पनी/अभिकरण/व्यक्ति, निजी अथवा लोक को अन्तरित/निस्तारित कर सकेगी;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अर्जित और उसे अन्तरित कोई भूमि उस पर कोई विकास किए बिना अन्तरित/निस्तारित कर सकेगी;

(ग) कोई ऐसी भूमि ऐसे विकास के बाद जैसा वह ठीक समझे, किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा योजना अनुसार विकास को प्राप्त करने के लिए समीचीन समझा जाय, अन्तरित/निस्तारित, कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि राज्य प्राधिकरण उपहार के रूप में किसी भूमि का निस्तारण कर सकती है, किन्तु विषय के अध्यधीन इस अधिनियम में सन्दर्भित भूमि का निस्तारण किसी सन्दर्भ में किसी रीति से कोई निस्तारण चाहे वह विक्रय, विनिमय अथवा पट्टे अथवा किसी सुखाचार, अधिकार के सृजन द्वारा अथवा विशेषाधिकार अथवा अन्यथा हो, कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी राज्य प्राधिकरण ऐसी भूमि (उसके किसी भवन सहित) को बन्धक अथवा अधिभार के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास और नगर विकास निगम अथवा कोई बैंकिंग कम्पनी अथवा कोई अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में रख सकेगी।"

धारा 20 का संशोधन

18. मूल अधिनियम की धारा 20 में :—

(1) उपधारा (1), (2) (3), (4) (5) तथा (6) में शब्द '"प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

(2) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित दो नयी उपधाराएं (8) तथा (9) जोड़ दिए जायेंगे; अर्थात् :—

"(8) स्थानीय विकास प्राधिकरण अपनी कुल आय का राज्य प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंश राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगा।

(9) राज्य प्राधिकरण उपर्युक्त उपधारा (8) के अधीन संग्रहीत निधि में से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटन योग्य धनराशि का निर्धारण करेगा और उसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों के मध्य आवंटित करेगा।"

धारा 20–क का अन्तःस्थापन

19. धारा 20 के पश्चात् एक नयी धारा 20–क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :—

"20–क. राज्य प्राधिकरण की निधियाँ —

(1) राज्य प्राधिकरण स्थानीय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त निधि के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा उसे आवंटित निधि से स्वयं की एक निधि संरक्षित करेगा।

(2) निधि का उपयोग इस अधिनियम के कियान्वयन में राज्य प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय अथवा इसके द्वारा सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित किन्हीं अन्य प्रयोजनों/कृत्यों के लिए किया जायेगा।

(3) राज्य प्राधिकरण को स्थानीय विकास प्राधिकरण को आवंटित की जाने वाली निधि की मात्रा को अवधारित करने और इसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों/नगरीय स्थानीय निकायों को उनकी वित्तीय सुदृढ़ता हेतु आबंटित करने की शक्ति होगी।

(4) राज्य सरकार के किन्हीं निर्देशों के अध्यधीन राज्य प्राधिकरण ऐसी

धनराशियों के लिए, जैसा वह आवश्यक समझे, अपने संभावित चालू अपेक्षाओं की पूर्ति और किसी अधिशेष धनराशि के निवेश के लिए, ऐसी रीति से जैसा वह ठीक समझे, किसी अनुसूचित बैंक में चालू खाता रखेगा।

(5) राज्य सरकार सम्यक विनियोग के पश्चात् ऐसे अनुदानों, अग्रिमों और ऋणों को राज्य प्राधिकरण को देगी, जैसा राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, और सभी अनुदानों, ऋणों और अग्रिमों को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर देगी, जैसा वह अवधारित करे।

(6) राज्य प्राधिकरण ऋण अथवा ऋण पत्रों अथवा ऐसे स्रोतों (राज्य सरकार से इतर) से ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर जैसा राज्य सरकार अनुमोदित करे, ऋण ले सकेगी।

(7) राज्य प्राधिकरण उपधारा (5) एवं (6) के अधीन ऋण ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए एक निक्षेप निधि को संरक्षित करेगी और इस प्रकार ऋण ली गई सभी धनराशियों की नियत अवधि के अन्दर वापसी के लिए प्रत्येक वर्ष पर्याप्त धनराशि निक्षेप निधि में जमा करेगी।

(8) निक्षेप निधि या उसका कोई भाग ऋण भुगतान, जिसके लिए ऐसी निधि सृजित की गयी थी, के निमित्त ही व्यय की जायेगी और जब तक कि ऐसे ऋणों का पूर्णतः निक्षेपण नहीं कर लिया जाता है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यय नहीं की जायेगी।"

धारा 21 का संशोधन

20. मूल अधिनियम की धारा 21 में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

धारा 21-क का अन्तःस्थापन

21. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् एक नयी धारा 21-क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-

"21-क. राज्य प्राधिकरण का आय-व्ययक :-

राज्य प्राधिकरण ऐसा तथा ऐसे समय पर प्रत्येक वर्ष जैसा राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में किसी आय-व्ययक के लिए विनिर्दिष्ट करे, आय-व्ययक जिसमें राज्य प्राधिकरण के आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आंकलित प्राप्तियाँ और व्ययों का विवरण हो, तैयार करेगा।"

धारा 22 का संशोधन

22. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1), (2), (3), (4) तथा (5) में शब्द '''प्राधिकरण'' के स्थान पर शब्द ''स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो'' रख दिए जायेंगे।

धारा 23 का संशोधन

23. मूल अधिनियम की धारा 23 में शब्द ''प्राधिकरण'' के स्थान पर शब्द ''स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो'' रख दिए जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

24. मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द ''प्राधिकरण'' के स्थान पर शब्द ''स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो'' रख दिए जायेंगे।

धारा 27 का संशोधन

25. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1), (2), (3), (4) तथा (5) में शब्द ''उपाध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो'' रख दिए जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

26. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1), (2), (3), (4), (5) तथा (6) में शब्द ''उपाध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो'' रख दिए जायेंगे।

धारा 28–क का संशोधन

27. मूल अधिनियम की धारा 28–क की उपधारा (1), (2), (3), (4) तथा (5) में शब्द ''उपाध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय

प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

धारा 32 का संशोधन

28. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

धारा 37 का संशोधन

29. मूल अधिनियम की धारा 37 में शब्द "'धारा 41" के स्थान पर शब्द "धारा 7–ख" रख दिए जायेंगे।

धारा 37–क का अन्तःस्थापन

30. मूल अधिनियम की धारा 37 के पश्चात् एक नयी धारा 37–क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"37–क. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा ––

(1) किसी सिविल न्यायालय को ऐसे मामले में जिसका इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लेकर इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियम अथवा विनियम के अनुसार निस्तारण किया जा सकता है, कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम द्वारा आच्छादित किसी मामले के सम्बन्ध में किसी अनुतोष के लिए राज्य सरकार अथवा किसी राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण के विरूद्ध वाद योजित नहीं किया जा सकेगा।

(3) सभी वाद, अपील, निगरानी, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन और इन वादों से उत्पन्न सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम सं0 5 वर्ष 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश 39 के अधीन कार्यवाहियों सहित अन्य सभी आकस्मिक अथवा आनुषंगिक कार्य्रवाहियाँ, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हों और अन्तरिम आदेशों से उत्पन्न सभी निगरानी जो इस अधिनियम के अधीन आच्छादित किसी मामले से सम्बन्धित हों एवं उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हों, सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो, को इस अधिनियम के प्रारम्भ

होने की तारीख से अन्तरित हो जायेंगे तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण मामलों को उसी रीति से निस्तारित करेगा, मानो कि वह इस अधिनियम की धारा 27 और/अथवा धारा 28 अथवा धारा 7–ख के अन्तर्गत योजित हुए हों :

परन्तु यह कि स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो, इस अधिनियम की क्रमशः धारा 27 और/अथवा धारा 28 अथवा धारा 7–ख के उपबन्धों के अध्यधीन कोई परिवाद अथवा कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो, के साथ जिस स्थिति में वाद उपर्युक्त रूप में अन्तरित किया गया हो, को आगे उस प्रकार चलायेगा जैसे कि मानो यह उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।"

धारा 38–क का अन्तःस्थापन

31. मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् एक नयी धारा 38–क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"38–क. भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार और नगरीय विकास अधिभार उद्गृहीत करने हेतु प्राधिकरण की शक्ति :–

(1) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में धारा 13 के अधीन किसी भू स्वामी के अनुरोध पर महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किसी विशिष्ट भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित किया जाता है, वहाँ ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाय, स्थानीय विकास प्राधिकरण को भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार की वसूली भू उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार के दौरान नहीं की जायेगी, वरन् भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक से व्यवहरण शुल्क के रूप में स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित ऐसी धनराशि ली जा सकेगी जो कि आवेदन पत्र के परीक्षण एवं समाचार पत्रों में आपत्ति प्रकाशन की प्रक्रिया पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक हो। सम्यक विचारोपरान्त आवेदन अन्तिम रूप से स्वीकार किए जाने योग्य पाये जाने पर ही भू उपयोग परिवर्तन अधिभार की वसूली इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन अन्तिम

अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा भू–स्वामी से की जायेगी :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी भूमि का भू–उपयोग महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात् स्वतः परिवर्तित हो जाता है, वहाँ कोई भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार, ऐसी भूमि के स्वामी से उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में किसी निजी विकासकर्ता को भूमि संकलित करने और उसका विकास करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया हो, वहाँ प्राधिकरण को, ऐसी भूमि के निजी विकासकर्ता पर ऐसी रीति से और ऐसे दरों पर जैसा कि विहित किया जाय, नगर विकास अधिभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा।"

धारा 39–ख का अन्तःस्थापन

32. मूल अधिनियम की धारा 39–क के पश्चात् एक नयी धारा 39–ख अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"**39–ख. भूमि संकलित करने एवं विकास करने के लिए अनुज्ञा :–** स्थानीय विकास प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि संकलित करने एवं विकास करने के लिए निजी विकासकर्ता को ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि विहित किया जाय, अनुज्ञा दे सकता है।"

धारा 41 का संशोधन

33. मूल अधिनियम की धारा 41 में :–

(1) उपधारा (1) में शब्द ""प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द " राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

(2) उपधारा (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"(2) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा कृत्यों के निष्पादन और शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और यहाँ तक कि स्थानीय प्रकरणों अथवा उनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई अन्य नियुक्त/पदाभिहित व्यक्ति/अधिकारी के बीच कोई विवाद उत्पन्न

हो तो मामला राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा और ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।"

(3) उपधारा (3) एतद्द्वारा निरसित समझी जायेगी।

धारा 46–क का अन्तःस्थापन

34. मूल अधिनियम की धारा 46 के पश्चात् एक नयी धारा 46–क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"46–क. राज्य प्राधिकरण के आदेशों और अभिलेखों का अधिप्रमाणन :– राज्य प्राधिकरण की सभी अनुज्ञाएं, आदेश, सूचनाएं और अन्य अभिलेख मुख्य प्रशासक अथवा इस सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित किए जायेंगे।"

धारा 47–क का अन्तःस्थापन

35. मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् एक नयी धारा 47–क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"47–क. राज्य प्राधिकरण के सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे :– राज्य प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्वयन में लोकसेवक समझे जायेंगे।"

धारा 48 का संशोधन

36. मूल अधिनियम की धारा 48 में शब्द ""अधिनियम" के पश्चात् शब्द "की धारा 26" रख दिए जायेंगे।

धारा 51 का संशोधन

37. मूल अधिनियम की धारा 51 उपधारा (3) के पश्चात् एक नयी उपधारा (4) अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"(4) राज्य प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति को साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हो, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, अपर मुख्य प्रशासक द्वारा भी प्रयोग में लाये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा।"

धारा 55 का संशोधन

38. मूल अधिनियम की धारा 55 में :–

(1) उपधारा (1) में शब्द ""राज्य सरकार" के पश्चात् शब्द "या राज्य प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

(2) उपधारा (3) एतद्द्वारा निरसित समझी जायेगी।

धारा 56 का संशोधन

39. मूल अधिनियम की धारा 56 में :–

(1) उपधारा (1) तथा (2) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

(2) उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात् एक नया खण्ड (खख) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(खख) राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक और वित्त नियंत्रक की शक्तियाँ और कर्तव्य;"

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) के पश्चात् एक नया खण्ड (गग) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(गग) राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, वित्त नियंत्रक और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;"

(4) उपधारा (2) के खण्ड (च) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

धारा 57 का संशोधन

40. मूल अधिनियम की धारा 57 में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

धारा 58 का संशोधन

41. मूल अधिनियम की धारा 58 में उपधारा (1) तथा (2) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

धारा 59 का संशोधन

42. मूल अधिनियम की धारा 59 में :–

(1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के पश्चात् एक नया खण्ड (कक) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(कक) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) विकास क्षेत्र की उद्घोषणा की तारीख से निरसित हो जायेगा और उस तारीख से उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) के अन्तर्गत गठित उस क्षेत्र का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भंग हो जायेगा।"

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "निलम्बित" के पश्चात् शब्द "और निरसित" रख दिए जायेंगे।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में शब्द "खण्ड (क)" के पश्चात् शब्द "और खण्ड (कक)" रख दिए जायेंगे।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में शब्द उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986" रख दिए जायेंगे।

(5) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के पश्चात् एक नया खण्ड (घ) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात :-

"(घ) इस अधिनियम के अधीन गठित सभी विकास प्राधिकरण विद्यमान रहेंगे और इस अधिनियम द्वारा गठित स्थानीय विकास प्राधिकरण समझे जायेंगे तथा उनके द्वारा ऐसी पदास्थिति में निर्वहन किए गए कोई कृत्य अथवा कर्तव्य इस अधिनियम के अधीन किए गए कृत्य और कर्तव्य समझे जायेंगे।"

(6) उपधारा (3) में शब्द "उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण विनियमन) अधिनियम, 1958" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986" रख दिए जायेंगे।

(7) उपधारा (3) के परन्तुक में शब्द "नगर निगम" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 में विहित कृत्यों के सम्बन्ध में" रख दिए जायेंगे।

(8) उपधारा (4) में शब्द "नगर निगम" के पश्चात् शब्द "या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

(9) उपधारा (6) के खण्ड (च) में शब्द "उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण विनियमन) अधिनियम, 1958" के पश्चात् शब्द "और उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन समस्त अपील" रख दिए जायेंगे।

(10) उपधारा (6) के खण्ड (च) के स्पष्टीकरण में शब्द "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के उपबन्धों" और शब्द "नगर निगम" के पश्चात् शब्द "या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" तथा शब्द "विनिर्दिष्ट" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन उपबन्धों" रख दिए जायेंगे।

(11) उपधारा (8) में शब्द "नगर निगम" के पश्चात् शब्द "या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" तथा शब्द "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959" के पश्चात शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986" रख दिए जायेंगे।

(12) उपधारा (9) में शब्द "ट्रस्ट" के पश्चात् शब्द "या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" तथा शब्द "अथवा ट्रस्ट" के पश्चात् शब्द "या राज्य सरकार" रख दिए जायेंगे।

(13) उपधारा (13) में शब्द "विशेष आवास परिषद् योजना" के पश्चात् शब्द "और उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन सभी कृत्यों" रख दिए जायेंगे।

(14) उपधारा (14) के पश्चात् एक नयी उपधारा (15) अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"(15) उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में गठित विकास प्राधिकरणों द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किए गए कोई कृत्य/कृत्यों अथवा कार्यवाहियों/कर्तव्य, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अविधिमान्य नहीं होंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सम्पादित सभी कृत्य और कर्तव्य, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सम्पादित किए गए कृत्य समझे जायेंगे।"

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।